हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in   Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-[redacted]

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
सचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक S2823   दिनांक : 26.09.2020

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब,
मुख्यमंत्री राजस्थान,
जयपुर।

विषयः– राज्य सरकार गैर–मीणा एवं टीएसपी क्षेत्र के असली आदिवासियों के दर्द का स्थायी समाधान करने के लिए अनुसूचित जनजाति का तुरंत वर्गीकरण करे।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप यह जानते है कि समता आन्दोलन किसी भी अन्याय, भेदभाव या अत्याचार के खिलाफ विधि सम्मत तरीके से आवाज उठाने वाली संस्था है। अभी बांसवाडा–डूंगरपुर क्षेत्र के आदिवासी आन्दोलन के उग्र व हिंसक हो जाने के लिए हम राज्य सरकार की उदासीनता को जिम्मेवार मानते हैं। राज्य के असली आदिवासियों का दर्द वर्षों पुराना है। यद्यपि सामान्य वर्ग के 1167 शिक्षक पदों के लिए हम मौजूदा आन्दोलन को अविधिक और दिग्भ्रमित नेतृत्व का परिणाम मानते हैं तथापि राज्य के गैर मीणा वंचित आदिवासियों के दर्द और पीड़ा के साथ समता आन्दोलन पूरी तरह खड़ा है।

राज्य में गैर–मीणा आदिवासियों और टीएसपी एरिया के आदिवासियों के पिछड़ेपन एवं सरकारी नौकरियों से वंचित रहने का कारण उत्तरी राजस्थान का मीणा समुदाय है। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हमारे अनुमान के अनुसार उत्तरी राजस्थान के सशक्त मीणा समुदाय द्वारा गैर–मीणा आदिवासियों से पिछले सत्तर सालों में लगभग 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) नौकरियाँ छीनी जा चुकी हैं। आप कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान देवें:–

राजस्थान राज्य की लगभग 7 करोड़ आबादी है और राज्य सरकार, निगम, बोर्डों में मिलाकर कुल 7 लाख कर्मचारी/अधिकारी हैं। प्रकटतः सामाजिक न्याय के दृष्टिगत प्रत्येक जातिवर्ग समुदाय का सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत प्रतिनिधित्व होना चाहिये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजाति की जनसंख्या 92.38 लाख है। इस आधार पर एक प्रतिशत की दर से जनजाति का सात लाख सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व 92380 होना चाहिये। हमारे अनुमान के अनुसार आज की तारीख में राजस्थान में 92000 के स्थान पर लगभग 1 लाख लोग(क्योंकि टीएसपी के अजजा को 45 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद शेष राजस्थान में 12 प्रतिशत आरक्षण के कारण) जनजाति के सरकारी नौकरी में हैं। उपरोक्त 92.38 लाख जनजाति जनसंख्या में लगभग 35 लाख मीणा है तथा लगभग 57 लाख गैर–मीणा आदिवासी हैं। इस प्रकार नौकरीपेशा उक्त एक लाख जनजाति में से 38000(35:.57) मीणा समुदाय के तथा 62000 गैर–मीणा जनजाति के होने चाहिये। दुर्भाग्य से आज की तारीख में गैर–मीणा जनजाति के मुश्किल से 25000 लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं जबकि शेष सभी 75000 लोग मीणा समुदाय के हैं। प्रकटतः टीएसपी एरिया के एवं गैर–मीणा समुदाय के आदिवासियों की लगभग 37000 (62000–25000) नौकरियाँ मीणा समुदाय के पास हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार के राजस्थान राज्य में (रेलवे, बीएसएनएल आदि) लगभग 2 लाख कार्मिक हैं, इनमे जनजाति के 7.5 प्रतिशत अर्थात 15000 से अधिक कार्मिक हैं। इन 15 हजार में मीणा समुदाय के 5700 एवं गैर–मीणा समुदाय के 9300(35:57) कार्मिक होने चाहियें। दुर्भाग्य से गैर–मीणा जनजाति के 2000 कार्मिक भी नहीं हैं। प्रकटतः गैर–मीणा जनजाति की लगभग 7 हजार नौकरियाँ मीणा समुदाय के पास हैं।

(लगातार--- 2)

हर इंसान-एक समान एक राष्ट्र-एक जान मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-18688

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
सचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
आई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

इस प्रकार आज की तारीख में गैर–मीणा जनजाति के लगभग 44000(37000+70000) सरकारी नौकरियाँ मीणा समुदाय के पास हैं। यह क्रम पिछले सत्तर वर्षों से चल रहा है अर्थात इस संख्या से दो गुणा जनजाति कर्मचारी अर्थात लगभग 2 लाख जनजाति कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं(प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से) और उनकी जगह पुनः भर्ती होने पर गैर–मीणा जनजाति की लगभग 88000 नौकरियाँ भी मीणा समुदाय के लोगों के द्वारा उपभोग की जाने के बाद उनकी सेवानिवृति भी हो चुकी है। उपरोक्तानुसार तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पिछले सत्तर वर्षों में मीणा समुदाय द्वारा गैर–मीणा जनजाति(टीएसपी सहित) की लगभग 1,32,000(44000+ 88000) सरकारी नौकरियाँ छीनी जा चुकी हैं। आप चाहें तो हाईकोर्ट के दो मौजूदा कार्यरत न्यायाधिशों का आयोग बनाकर एक माह की अवधि में आंकड़ों का विश्लेषण करवाकर हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का और असली आदिवासियों की पीड़ा व दर्द का सत्यापन करवा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने सुगनलाल भील की याचिका में दिनांक 18 फरवरी 2014 को स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि मीणा समुदाय को जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार उक्त आदेशों की पालना नहीं कर रही है तथा मीणा समुदाय को लगातार असली आदिवासियों की नौकरियाँ छीनते रहने की अविधिक सुविधा दिये जा रही है।

उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक आंकड़ों व गम्भीर परिस्थिति के मद्देनजर हमारी प्रार्थना है कि:–

(1) राजस्थान अनुसूचित जनजाति को दो वर्गों में तत्काल वर्गीकृत किया जावे। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दस जिलों के मीणा समुदाय के लिए 5 प्रतिशत तथा शेष गैर मीणा जनजाति के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण रखा जावे।

(2) जब तक मीणा समुदाय द्वारा छीनी गई 1,32,000 सरकारी नौकरियाँ गैर–मीणा जनजाति को नहीं मिल जाती तब तक सम्पूर्ण 12 प्रतिशत जनजाति आरक्षण को गैर–मीणा जनजाति के लिए ही आरक्षित रखा जावें।

(3) मौजूदा 1167 शिक्षक पदों के लिए खाली पदों पर सामान्य– ओबीसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए आवश्यकतानुसार कट–ऑफ में अर्थात न्यूनतम उर्त्तीणांक में 5 से 10 प्रतिशत तक की छूट दी जावे।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

52824 से 53023

प्रतिः– सभी सम्मानीय विधायकों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।